न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
234 / 2021	17.09.2021	10.05.2023

//उनवान//

1 रेणू यादव पत्नि पूर्णमल जाति अहीर निवासी दरवारपुर, तहसील मुण्डावर, अलवर।

:– वादीया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय मुण्डावर, अलवर।

:– प्रतिवादी

दावा – इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितिः– 1 श्री अरुण पण्डित – वकील वादीया

निर्णय दिनांक– 10.05.2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीया उपस्थित आये। वादीया के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख0नं0 771/0.08 है0 वाके ग्राम दरवारपुर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। आराजी मुतनाजा वादीया की खरीदशुदा आराजी है जिसे वादीया ने दिनांक 05.06.2007 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के विक्रेता बस्तीराम, विजयसिंह, दयाराम पुत्रान छाजू जाति अहीर निवासी दरबारपुर से बाकब्जा एवं बाप्रतिफल खरीद की गई है। बैयनामा के आधार पर मिन वादीया के नाम इंतकाल दर्ज हो गया एवं वादीया मौके पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। आराजी बाबत मौके पर कोई विवाद नहीं है। मिन वादीया का विवाह कृष्ण कुमार पुत्र प्रभातसिह के साथ हुआ था लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद ही पति कृष्ण कुमार दिनांक 16.07.2002 को फौत हो गया तथा पति के फौत होने के बाद मिन वादीया ने अपने देवर पूर्णमल के साथ नाता कर लिया तथा मिन वादीया के समस्त दस्तावेजों में पति का नाम पूर्णमल दर्ज हो रहा है। आराजी मुतनाजा का बैयनामा दिनांक 05.06.2007 को लिखवाते समय मिन वादीया ने डीड राईटर को अपने पति का नाम पूर्णमल बताया था लेकिन डीड राईटर ने बैयनामा लिखते समय पति पूर्णमल के स्थान पर पूर्व पति कृष्ण का नाम लिख दिया। इसलिए इंतकाल भी रेणू यादव पत्नि कृष्ण कुमार दर्ज हो गया जो गलत इन्द्राज है। आराजी मुतनाजा में वादीया के पति का नाम का गलत इन्द्राज हो जाने से वादीया के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है जिससे खरीदशुदा आराजी में वादीया सुविधाजनक तरीके से उपयोग उपभोग करने से महरूम हो रही है एवं आराजी का तबादला, क्रेडिट कार्ड बनवाने आदि से महरूम हो रही है आदि–आदि अंकित करते हुए निवेदन रहा कि वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर की पारित की जाकर आराजी ख0नं0 771/0.08 है0 वाके ग्राम दरवारपुर तहसील मुण्डावर में दर्ज मिन वादीया के पति का नाम कृष्ण कुमार को हजफ किया जाकर, रेणू यादव पत्नि पूर्णमल दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाकर इसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त फरमाया जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पैरोकार सरकार पेश होकर शामिल पत्रावली है। मुताबिक जवाब पैरोकार राजस्व रिकॉर्ड तक तक स्वीकार है अंकित करते हुए बिन्दू 2 ल0 9 वादी स्वंय सिद्ध करे एवं बिन्दू सं0 10 ल0 13 कानूनन होकर क्षेत्राधिकार व श्रवण योग्य है, कोर्ट फीस से संबंधित है, श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, अंकित होकर शामिल पत्रावली है।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 प्रदर्श–1, मूल बैयनामा दिनांक 05.06.2007 प्रदर्श–2, जन आधार/भामाशाह प्रदर्श–3, विवाह प्रमाणापत्र दिनांक 13.11.2007 प्रदर्श–4, परिवार राशन कार्ड प्रति प्रदर्श–5, पूर्णमल का आधार की प्रति प्रदर्श–6, मृत्यु प्रमाणपत्र पूर्णमल प्रदर्श–7, पूर्णमल पेन कार्ड प्रति प्रदर्श–8, रेणू का पेन कार्ड की प्रति प्रदर्श–9, नोटेरी द्वारा तस्दीक शपथपत्र रेणू प्रदर्श–10, ग्राम पंचायत दरबारपुर द्वारा पुनर्विवाह पूर्णमल से किये जाने के बाबत का प्रमाणपत्र दिनांक 28.04.2023 प्रदर्श–11 एवं जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां जो रेणू यादव पत्नि पूर्णमल के नाम से जारी है के साथ साथ स्वयं का विभागीय पहचान की छाया प्रति पेश है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र रेणू यादव पीडब्ल्यू–1 जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनो को दौहराते हुए अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात दिनांक 05.06.2007 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा वादीया की खरीदशुदा आराजी है। वादीया वक्त खरीद से काबिज काश्त चली आ रही है एवं कब्जे के बाबत मौके पर कोई विवाद नहीं है। वादीया का विवाह कृष्ण कुमार पुत्र प्रभातसिंह के साथ हुआ था जो दिनांक 16.07.2002 को फौत हो गये थे तथा उनकी फौतगी पर वादीया ने अपने देवर पूर्णमल पुत्र प्रभातसिंह के साथ पुनर्विवाह कर लिया था। उक्त विवादित आराजी के बैयनामे दिनांक 05.06.2007 को लिखवाते समय डीड राईटर ने पति पूर्णमल के स्थान पर पूर्व पति कृष्ण का नाम लिख दिया एवं उक्त बैयनामे के आधार पर ही इंतकाल भी रेणू यादव पत्नि कृष्ण कुमार दर्ज होकर स्वीकार हो गया जो आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम का अंकन चला आ रहा है जबकि वादीया के पहचान के सभी दस्तावेजात रेणू यादव पत्नि पूर्णमल के नाम से हैं जिस हेतु वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 प्रदर्श–1, मूल बैयनामा दिनांक 05.06.2007 प्रदर्श–2, जन आधार/भामाशाह प्रदर्श–3, विवाह प्रमाणापत्र दिनांक 13.11.2007 प्रदर्श–4, परिवार राशन कार्ड प्रति प्रदर्श–5, पूर्णमल का आधार की प्रति प्रदर्श–6, मृत्यु प्रमाणपत्र पूर्णमल प्रदर्श–7, पूर्णमल पेन कार्ड प्रति प्रदर्श–8, रेणू का पेन कार्ड की प्रति प्रदर्श–9, नोटेरी द्वारा तस्दीक शपथपत्र रेणू प्रदर्श–10, ग्राम पंचायत दरबारपुर द्वारा पुनर्विवाह पूर्णमल से किये जाने के बाबत का प्रमाणपत्र दिनांक 28.04.2023 प्रदर्श–11 एवं जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां जो रेणू यादव पत्नि पूर्णमल के नाम से जारी है के साथ–साथ स्वयं का विभागीय पहचान की छाया प्रति पेश है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र रेणू यादव पीडब्ल्यू–1 पेश किये है एवं उक्त दस्तावेजात के माध्यम से वादीया ने अपने वादपत्र को पूर्ण रूप से साबित कर दिया है अभिकथन करते हुए वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि हाल ख0नं0 771/0.08 है0 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर, अलवर में दर्ज वादीया के पति का नाम कृष्ण कुमार को हजफ किया जाकर रेणू यादव पत्नि पूर्णमल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीया के आराजी ख0नं0 771/0.08 है0 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर, अलवर के नाम के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रेणू यादव पत्नि कृष्ण कुमार नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान रेणू यादव पत्नि पूर्णमल के नाम के अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

यह निर्णय आज दिनांक **10.05.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय **की मुद्रा से** जारी किया गया।

10-5-2023

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रै0)
मुण्डावर अलवर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
234 / 2021	17.09.2021	10.05.2023

//उनवान//

1 रेणू यादव पत्नि पूर्णमल जाति अहीर निवासी दरबारपुर, तहसील मुण्डावर, अलवर।

:– वादीया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय मुण्डावर, अलवर।

:– प्रतिवादी

दावा – इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अरुण पण्डित की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.05.2023 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष पर्चा डिक्री जारी करने के लिए पेश होने पर, मुताबिक पर्चा डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

आराजी ख0नं0 771/0.08 है0 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर, अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रेणू यादव पत्नि कृष्ण कुमार नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान रेणू यादव पत्नि पूर्णमल के नाम के अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 10.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

10-05-2023

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0)
मुण्डावर अलवर

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0